HK-MCM/1N/12.00

(MR. CHAIRMAN in the Chair)

प्रश्न संख्या 181

श्रीमती छाया वर्मा : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं जानना चाहती हूं कि रेत का अवैध खनन कई राज्यों में खूब जोर-शोर से कानून को ठेंगा दिखाते हुए चल रहा है। इस बात को सरकार जानती है, लेकिन फिर भी कुछ करती नहीं है। अदालतें भी इसकी रोकथाम हेतु केन्द्र सहित राज्य सरकार को कई बार कह चुकी हैं। मैं छत्तीसगढ़ का एक ताजा मामला बताना चाहूंगी कि राजधानी से लगा हुआ एक पेंड्रावन जलाशय है, जो बहुत बड़ा जलाशय है, उसको दो बार राज्य शासन अपनी चहेती कम्पनी को अवैध उत्खन्न के लिए ठेका दे रही थी, लेकिन उसको निरस्त किया गया।

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है?

श्रीमती छाया वर्मा : महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या सरकार कोई ऐसा तंत्र विकसित करेगी, जिससे अवैध खनन को वैध बनाने की प्रवृत्ति पर विराम लग सके?

श्री प्रकाश जावडेकर : इल्लीगल माइनिंग एक बड़ा इश्यू है। यह मेजर मिनरल्स में भी और मॉइनर मिनरल्स में भी है तो मेजर मिनरल्स में नई टेक्नोलॉजी के साथ अब इस तरह से सैटेलाइट से देखा जा रहा है। उससे सैकड़ों प्रकरण ऐसे आए, जिस पर तुरन्त कार्यवाही शुरु हुई कि उनका जहां क्षेत्र था, उन्होंने उससे बढ़ाया है या कोई डम्प करके रखा है, जबकि लीगली एलाउड नहीं है, तो ऐसे लोगों पर इल्लीगल माइनिंग के

Q.No.181 (contd.)

लिए कार्यवाही हो रही है। इसका इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकारों के पास होते हुए भी इस टेक्नोलॉजी से एक अच्छा प्रयास हुआ है और उसका परिणाम अच्छा आया है। जो छोटे हैं सैंड और स्टोन, सैंड माइनिंग में बहुत ज्यादा इल्लीगेलिटी थी। हमने एक पारदर्शी प्रक्रिया बनाई कि जिसके तहत सैटेलाइट से पहले मैपिंग होती है नदी की कि कहां और कितनी बालू जमा है और उतनी और वही बालू निकालने के लिए परमिशन दी जाने लगी है। पहली दफा आजाद हिन्दुस्तान में यह लाइसेंसिंग का काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी दिया गया है 5 हेक्टेयर तक का और उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक्सपर्ट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी तय हुई और उसकी अथॉरिटी भी वहां दे दी गई है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी केन्द्र सरकार के साथ काम करने लगा है। उसकी तीसरी सबसे बडी खूबी यह है कि इस सारे प्रोसीजर में 5 ट्रक सैंड ले जाने की है और अगर कोई 10 ट्रक ले जा रहा है तो ऐसा रोकने के लिए उसको बार कोडिंग रसीद मिलेगी, जिससे एक ही रसीद पर बार-बार ट्रक नहीं जाएगा। यह भी सारी सुव्यवस्थित प्रक्रिया तैयार की गई है और इसका अमल अनेक राज्यों ने अच्छी तरह से किया है। बाकी राज्यों से भी हम कह रहे हैं कि इसी तरह ही करो क्योंकि now, it is notified. So, it is justiciable.

श्रीमती छाया वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न पर्यावरण के बारे में है। अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के आसपास सड़क चौड़ीकरण के लिए बहुत ज्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। उसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। सर, मैं आपके माध्यम से

Q.No.181 (contd.)

कहना चाहूंगी कि राजधानी से लगे हुए एरिया में इतनी ज्यादा फैक्टरीज हो गई हैं, जिसके कारण वायु इतनी प्रदूषित हो गई है और डॉक्टर्स की रिपोर्ट बतलाती है कि जब गर्भवती महिलाएं सांस लेती हैं तो उनके होने वाले बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो माननीय मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूंगी कि वे इस दिशा में क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री प्रकाश जावडेकर : यह इल्लीगल माइनिंग से संबंधित नहीं है, लेकिन जो पेड़ किसी विकास कार्य के लिए हटाते हैं, अभी हाईवे मिनिस्टर यहीं हैं, और ट्रांसप्लांटेशन भी जितने पेड़ों का हो सकता है, वह तो करते हैं और बाकी जगह ग्रीनरी की भी वैकल्पिक व्यवस्था होती है। तो सब मिलकर एक पेड़ा कटा तो दस पेड़ लगेंगे, इस तरह की एक पूरी मुहिम चलती है। मुझे लगता है कि इससे अच्छा सफल परिणाम मिल भी रहा है।

(1O/SC पर आगे)

KSK/SC/12.05/1O

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, this is amusing. I don't know from when my friend, Prakashji, in addition to the HRD Ministry, has also taken charge of the Environment Ministry. ...(Interruptions)... This is in a lighter vein. I am really enjoying the way in which he is efficiently tackling the things. Secondly, Sir, this question relates to not only sand mining, but all kinds of illegal mining, which is creating serious environmental hazards and more

Q.No.181 (contd.)

dangerously, a widespread land subsidence is taking place. People are dying. Only in my State, I know about the coal mine area where a lot of illegal mining activities are going on and only a few months back, many people died. We do not know about the number of people who have died. The people, who are dying because of subsidence and just putting in the underground fire, don't get any compensation also. This is a very horrible state of affairs because of illegal mining and it seems to be uncontrollable. I have taken up this issue a number of times. This is the situation even when you are directly taking care of the Forest Ministry. The problem is that the Central Government and the State Government have been passing the buck to each other. Now, it is good that the Coal Minister has also come. It is my suggestion and I would like to ask the Minister whether a task force kind of a thing will be created with the participation of both, the State and Central Governments, to directly supervise and stop this menace, which is leading to serious environmental hazards and sometimes, disasters leading to huge fatality. I think, this is the need of the hour. Instead of passing buck to the State Government, or by the State Government to the Central Government, will both the Governments together, in the spirit of federalism, make a

Q.No.181 (contd.)

concrete technologically-efficient task force to look after and stop the illegal mining?

MR. CHAIRMAN: It is a suggestion that may be considered.

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, तपन कुमार सेन जी का यह सवाल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत अच्छा सुझाव है। This is a suggestion for action and I take it in that spirit.

डा0 विनय पी.सहस्त्रबुद्धे : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने उत्तर में बताया है कि 4 नवम्बर, 2015 को उत्तर प्रदेश सरकार को ये आदेश दिए गए थे कि अवैध खनन को रोकने के लिए तुरंत कार्यवाही की जाए। मेरा मंत्री जी से प्रश्न है कि उसके बाद क्या कोई कार्यवाही हुई है या वहां पर कानून का सम्मान करने वाली सरकार आने की राह देखी जा रही थी?

MR. CHAIRMAN: Let this question be a question.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, it is a question which differs from State to State. Twenty-three States have already formed their Task Forces to take action because we believe in co-operative federalism where we are motivating States to take stern action. सभापति महोदय, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे स्वयं के पास illegal mining की एक शिकायत आयी थी। मैंने हमारे कलेक्टर को उसके बारे में कहा। जब कलेक्टर ने वहां जांच की तो illegal mining हो रही थी। तब उन्होंने वहां कानून के मुताबिक फाइन लगाया और पूरे जिले में उन्होंने

Q.No.181 (contd.)

मुहिम चलायी। उस एक जिले से 125 करोड़ रुपए का फाइन तीन महीने में इकट्ठा हुआ। Can you imagine, illegal mining का कितना अधिक फैलाव है? इसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र, दोनों को मिलकर काम करना होगा। सर, एक सार्थक योजना बनी भी है और लगातार इस संबंध में काम चल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, after notification, जो हुआ है, अब यह justiciable है, लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं। यह एक अच्छी स्थिति है। इस तरह से हम illegal mining को अवश्य रोकेंगे।

चौधरी सुखराम सिंह यादव : सर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अवैध खनन सबसे खराब चीज़ है, लेकिन जैसा मैं देख रहा हूं, सारे के सारे विकास कार्य ठप हो रहे हैं क्योंकि लोगों को बालू नहीं मिल पा रही है। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई योजना बनाएंगे, ताकि अवैध खनन भी न हो और विकास कार्य भी प्रभावित न हों?

श्री प्रकाश जावडेकर : सर, अनेक जगह बालू की समस्या अनेक कारणों से थी और वहां बालू नहीं मिल रही थी, लेकिन अब एक systematic policy तय की गयी है और sand mining के लिए scientific Sustainable Sand Mining Policy के notify होने के बाद एक साल में स्थिति में बहुत अंतर आया है और अंडमान जैसी जगह, जहां यह प्रश्न CRZ के कारण भी पैदा होता था और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी था, उससे रास्ता निकालकर जितनी बालू भवन निर्माण के लिए चाहिए, वह मिलने की व्यवस्था हुई है और वह constantly monitor भी हो रही है। (समाप्त)

(1पी-जीएस पर आगे)

GS-GSP/1P/12.10

प्रश्न संख्या 182

श्री हुसैन दलवई : सभापति महोदय, अभी भी मंत्री महोदय ने कबूल किया है कि 65.9 प्रतिशत लोग घरों में biomass इस्तेमाल करते हैं। मंत्री महोदय यह भी कबूल कर रहे हैं कि घरों में लकड़ी का, गोबर का और फसल अवशिष्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण के कारण हमारी कई माताएं और बहनें बीमार पड़ जाती हैं, मर जाती हैं। सरकार ने इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए इम्प्रूव्ड कुक स्टोव की बात कही है, लेकिन बजट में इसके लिए कोई खास प्रोविजन नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी ने जानना चाहता हूं कि क्या सरकार बजट में इसके लिए कोई प्रोविजन करेगी? जो लोग बहुत दूर-दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जहां पर गैस का सिलेंडर पहुंचना मुश्किल होता है, ऐसी जगहों पर सिलेंडर पहुंचाने के लिए ऑयल कम्पनियों को क्या सरकार incentive देगी, या सब-एजेंट्स की appointment करेगी?

श्री पीयूष गोयल : सर, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि ये जो आंकड़े हैं, ये 2011 के census के आंकड़े हैं, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत लोग पुराने तरीके से कुकिंग करते हैं। जब वर्ष 2014 में नई सरकार आई, तो उसने एक नई स्कीम शुरू की, जिससे मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया, लगभग पांच करोड़ गरीब घरों को मुफ्त में LPG गैस कनेक्शन दिया जाएगा। इसमें से लगभग दो करोड़ घरों तक इस वर्ष में ही गैस कनेक्शन पहुंच गए हैं और आगे आने वाले दो वर्षों में और तीन करोड़ घरों में मुफ्त गैस कनेक्शन दे दिया जाएगा तथा इससे यह आंकड़ा

Q.No.182 (contd.)

बड़े रूप में कम होगा। इसके अलावा भी जो बीपीएल के अलावा एपीएल फैमिलीज़ हैं, उनको भी लगातार गैस कनेक्शन देने का सिलसिला जारी है और आज के दिन लगभग 19 करोड़ परिवार ऐसे हैं, जिनके पास LPG गैस सिलेंडर्स हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह आंकड़ा नए census से निकलेगा, तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट आने की संभावना है।

साथ ही साथ सरकार ने अलग-अलग योजनाओं द्वारा काफी बड़ी मात्रा में कुकिंग गैस स्टोव में बायोगैस प्लांट लगाना, फैमिली टाइप बायोगैस प्लांट्स या सोलर के कुकिंग स्टोव्स लगाना, small aero generators and hybrid systems लगाना और अलग-अलग योजनाओं से लोगों को better quality of cooking medium मिले, इसके लिए सरकार भी subsidy देती है। यह स्टेट्स के माध्यम से implement होता है और आपकी यह बात सही है कि हमको स्टेट्स को और ज्यादा प्रोत्साहन देना पड़ेगा कि इस प्रोग्राम को नीचे गांव तक लेकर जाए।

जहां तक LPG पर subsidy देने की बात है, तो LPG पर already subsidy दी जाती है। हमारी सरकार ने पूरे देश में गांव-गांव तक LPG पहुंचे उसके लिए जो भी खर्चा होता है, उसको हम तय करके LPG को पूरे देश में पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री हुसैन दलवई : सर, अभी भी केन्द्र सरकार ने 86 रुपये प्रति सिलेंडर पर बढ़ाए हैं। इसकी वजह से जो लोग सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, उनमें से कुछ लोग बाहर गए हैं। मैं

Q.No.182 (contd.)

माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसे लोगों के बारे में अलग से विचार होगा?

दूसरी बात यह है कि आप improved चूल्हा या improved stove के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन ने इसके ऊपर बहुत सा काम किया था, क्या उसका कुछ उपयोग किया जा रहा है?

श्री पीयूष गोयल : पहली बात तो यह है कि जहां तक 86 रुपये सिलेंडर पर बढ़ाने का सवाल है, सभापति जी, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को यह स्पष्ट कर दूं कि वह 86 रुपये subsidy के रूप में फिर reimburse हो जाते हैं। इसलिए जिनको एल.पी.जी. पर subsidy मिलती है, तो यह 86 रुपये की बढ़ोतरी नॉर्मल है। जब से प्राइसिंग डि-कंट्रोल हुई है, जब-जब दाम बढ़ेंगे, तो इसका दाम बढ़ेगा और जब-जब दाम घटेंगे, तो इसका दाम घटेगा। लेकिन यह जो 86 रुपये की बढ़त है, यह subsidy के माध्यम से लोगों को फिर एक बार re-compensate हो जाती है। इसकी वजह से किसी ने एल.पी.जी. का इस्तेमाल करना बंद किया हो या फिर एक बार पुराने माध्यम पर चला गया हो, ऐसी कोई शिकायत हमें देश में किधर से भी नहीं मिली है और इसकी कोई संभावना भी नहीं है। यह पूरा पैसा एक प्रकार से neutral है, यह subsidy के माध्यम से make up होता है।

जहां तक आपने नई टेक्नोलॉजी की बात कही है, तो जून, 2014 में हमने उन्नत चूल्हा अभियान के माध्यम से एक modern version of cooking stove जो ज्यादा

Q.No.182 (contd.)

इफेक्टिव हो, जिससे प्रदूषण कम हो, वह हमने लाँच किया है, लगभग 36,940 परिवारों को अभी तक इसका लाभ मिला है। इसको हम और तेज गति से जनता तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील हैं।

(HMS/1Q पर आगे)

SK-HMS/12.15/1Q

SHRI ANIL DESAI: Sir, a very elaborate answer has been given by the hon. Minister as far as the details regarding the households using traditional biomass for cooking are concerned. In the State of Maharashtra, it is noticed that it is a State where there are 2,38,30,580 households which go for traditional biomass cooking, that is, firewood, crop residue and cow-dung. May I know from the Minister the steps being taken for the State of Maharashtra, which is one of the progressive States in the country? I would like to know whether the *Pradhan Mantri Ujjwala Yojana* implemented by the Ministry of Petroleum and Natural Gas for providing clean cooking fuel like LPG has been successful. Maharashtra has a network of good roads. It is perceived that as compared to other States, it is number one in respect to infrastructure. Why is it that high numbers are still not attended to or this issue has not been addressed? What are the things which are in the offing?

Q.No.182 (contd.)

SHRI PIYUSH GOYAL: I think the hon. Member has raised a very important point. We are both come from Maharashtra, and it is a big question mark that almost seven decades after independence, despite the fact that Maharashtra is otherwise a highly-industrialized State and has progressed well on several parameters, why is it that 42 per cent of the people of Maharashtra still have to depend on firewood or why do four-and-a-half per cent of the people have to depend on crop residue? It certainly is an area of concern which is sought to be addressed through wider dispersal of LPG cylinders in the State of Maharashtra. The *Ujjwala Yojana*, launched by the hon. Prime Minister about a year ago, has seen successful implementation in Mumbai and in the rest of Maharashtra. More and more of the poor are getting connected to the LPG distribution system. I think, with the new Government now in Maharashtra for the last two years, they have been making a focussed approach to get people mov out of these traditional forms of cooking into a more modern and efficient form of LPG connection. Mumbai is also looking at more and more piped gas going into the households, which is even further one step ahead in terms of efficiency. I am quite sure that in the next four or five years, we can actually look forward

Q.No.182 (contd.)

to a situation where either people are moving to gas or they are moving to efficient ways and means of converting these traditional forms of cooking into more modern and less polluting forms of cooking.

श्री प्रेम चन्द गुप्ता : श्रीमन्, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि 65.9 परसेंट households, biomass cooking system के ऊपर depend करते हैं। इस तरह तकरीबन 24 करोड़ 66 लाख households बायोमास पर हैं। मंत्री महोदय ने कहा है कि 19 करोड़ households को already गैस कनैक्शन दिया जा चुका है। इसलिए अगर 19 करोड़ households को गैस कनैक्शंस दिए गए हैं, तो या तो आपका यह आंकड़ा ठीक नहीं है या आपकी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। श्रीमन्, मैं इस बारे में उनसे clarification चाहूंगा। दूसरे, अगर "Distribution of households by type of fuel used for cooking" को आप देखें, तो पता चलता है कि इस में कितना imbalance है? कुछ स्टेट्स में 77 परसेंट households biomass के ऊपर depend करते हैं और कुछ स्टेट्स में 4,5,6 और 13 परसेंट households इस के ऊपर depend करते हैं। तो इस imbalance को खत्म करने की इन की क्या प्लानिंग है? श्रीमन्, आप देखें कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में आज भी आधे से ज्यादा households biomass के ऊपर depend करते हैं, जब कि उन्नत राज्यों में इस की निर्भरता कम है। तो इस imbalance को खत्म करने के बारे में आपका क्या प्रोग्राम है?

Q.No.182 (contd.)

श्री पीयूष गोयल : महोदय, माननीय सांसद ने imbalance की बहुत अच्छी बात कही है। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको प्रश्न के उत्तर की ओर ले चलता हूं। पहली बात, मैंने पहले ही शब्द में कहा है कि 'as per Census, 2011' क्योंकि 2011 के census के बाद देश भर में ऐसा कोई सर्वे नहीं हुआ है, जिस से आज का आंकड़ा प्राप्त हो सके कि firewood और बाकी traditional form of cooking पर कितने परिवार निर्भर हैं?

(1 आर/एएससी पर जारी)

ASC-YSR /12.20/1R

श्री पीयूष गोयल (क्रमागत) : आप पहले तो यह नोट कर लें कि ये Census 2011 के आंकड़े हैं। दूसरी बात यह है कि 24 करोड़, 66 लाख उन घरों का टोटल नहीं है, जो firewood पर traditional forms पर हैं, यह देश के कुल घरों का आकलन है। That is the total number. इस 24 करोड़, 66 लाख में जब आप 65.9 per cent पकड़ेंगे, तो सोलह, सवा सोलह करोड़ 2011 में traditional forms पर थे। 2011 के बाद .....

श्री प्रेम चन्द गुप्ता : मंत्री महोदय, आप क्वालिफाइड CA हैं, मैं CA नहीं हूं। अगर आप 24.66 लाख का 65 per cent work out करेंगे, तो यह 12 करोड़ से कम हो जाएगा, फिर यह 19 करोड़, कहां से आया? मैं केवल यही figure जानना चाहता हूं।

श्री पीयूष गोयल : आप बही-खाता रखने में बहुत माहिर हैं। आपकी calculation शायद मुझसे ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन 24 करोड़, 66 लाख का अगर 12 करोड़

Q.No.182 (contd.)

देखें, तो 50 प्रतिशत आता है और 65.9 per cent लिखें, तो 16 करोड़ आता है। आप चाहें, तो इसको अपने मोबाइल फोन पर अभी calculate कर सकते हैं।

श्री सभापति : आप लोग दोनों ही इससे वाकिफ हैं, इसलिए आपस में तय कर लीजिए।

श्री प्रेम चन्द गुप्ता : फिर भी वह 19 करोड़ नहीं आता है।

श्री पीयूष गोयल : मैं उसी पर आ रहा हूं। मैंने आपको अभी बताया है कि वह Census 2011 का आंकड़ा है। उसके बाद 2014 में हमारी सरकार आई, तो देश में LPG सिलेंडर्स का प्रभाव बढ़े, उसका इस्तेमाल बढ़े, इसके लिए हमने तेज गति से कार्य किया। जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, उनको मुफ्त कनेक्शन दिए और जो गरीबी रेखा से ऊपर हैं, उनको सुविधाजनक व आसानी से कनेक्शन मिले, इसके लिए कार्य किया। आप देखेंगे कि गत तीन वर्षों में बहुत बड़े पैमाने पर LPG का प्रभाव और इस्तेमाल बढ़ा है, जिसके कारण आज 19 करोड़ तक आंकड़ा हो गया है। इसीलिए मैंने पिछले सवाल के जवाब में भी कहा था कि यदि आज का आंकड़ा देखें, तो यह काफी गिर गया होगा। यदि 19 करोड़ लोगों को LPG कनेक्शन मिलना शुरू हो गया, तो अभी सात सालों में LPG कनेक्शन लेने वाले परिवारों की संख्या 25 या 26 करोड़ हो गई होगी। जब इसमें से 19 करोड़ निकालेंगे, तो यह आंकड़ा बहुत कम भी हुआ है। मेरा मानना है कि अगले चार-पांच सालों में यह आंकड़ा लगभग खत्म हो जाएगा।

...(व्यवधान)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. That is all. Mr. Reddy.

Q.No.182 (contd.)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, I will answer it in one minute only. यदि आप carefully देखें, तो आपने कम आंकड़े के राज्य देखे हैं, उनमें दिल्ली है, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, दमन और दीव है। ऐसे छोटी जगह, जो एक तरीके से शहरी क्षेत्र ज्यादा है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र और देश का पूरा नक्शा देखें, तो लगभग विकास से जो वंचित हैं और खासतौर से जो पूर्वी राज्य हैं.... पश्चिमी बंगाल इस मात्रा में थोड़ा better है, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार व झारखंड, इन राज्यों के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये राज्य विकास के मामले में काफी पीछे रहे हैं। एक जमाने में ये बीमार राज्य कहे जाते थे। वहां पर यह समस्या ज्यादा है और अब हमारी पूरी कोशिश है कि उन राज्यों को भी विकास से जोड़कर, उनको भी तेजी से प्रगति से जोड़ा जाए।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Sir, according to a survey conducted by the Council on Energy, Environment and Water, 88% of the LPG-deprived households say that it is the cost of refilling a cylinder, a monthly recurring expenditure, which is the main barrier and bottleneck for the LPG usage. Has the Government got any plan to reduce or minimise or subsidise the cost of refilling LPG for those households by way of any subsidy under the Pradhan Mantri Ujjwala Yojana? Has the Government got any plan to supply 2 kg and 5 kg cylinders to improve the affordability of this class of people?

Q.No.182 (contd.)

SHRI PIYUSH GOYAL: Sir, this belongs to the Ministry of Petroleum and Natural Gas. But I am happy to share it with you that the CEEW is in direct touch with us regularly. Their sample size is usually of a few hundred households and based on that they extrapolate the data. The Census is the most accurate data available. The CEEW, Arunabha Ghosh and all, reaches out to a few households and on the basis of that it extrapolates as to what the situation would be. This is point one. Point two, the LPG cylinder connection was found to be a major deterrent which we have taken care of by giving free connections to all the poor. Now refilling is highly subsidised.

(Contd. by VKK/1S)

-YSR/VKK-LP/1S/12.25

SHRI PIYUSH GOYAL (CONTD.): As I just mentioned to Husain *Bhai*, when increase in the cost of LPG cylinder took place, particularly in view of global prices having gone up recently, the entire amount was absorbed through the subsidy mechanism so that the end user did not face the burden of that. Having said that, I am very delighted and we are very proud that many Members also here may have given up their LPG subsidy. The people of this country responded to the hon. Prime Minister's appeal wholeheartedly and

Q.No.182 (contd.)

over a crore of people gave up their LPG subsidy voluntarily, which has helped us give the poor of India a free connection and I think it is something which deserves applaud. Across the country, people of India have responded to this clarion call. I hope all the hon. Members of Parliament have also given up their subsidy. If not, I would urge them to do that even now.

(Ends)

Q. No.183

SHRI C.P. NARAYANAN: Sir, I am raising this question in the background of the Government introducing policy of privatising the public sector in a big way. In the public sector, the SCs and STs are getting employment. It is being denied then. Secondly, instead of filling up the various posts in the Government, contract labour is being introduced. In these two ways, thousands of SCs and STs are being denied their due share. It is a Constitutional assurance that we are giving. Now, in this Budget, when the Budget was being prepared, the Finance Ministry has given an instruction to all the Ministries that Jadhav Committee guidelines should be maintained. According to the Jadhav Committee guidelines, 4.63 per cent of the budgeted amount for the SCs and 2.39 per cent of the budgeted amount for STs has to be given. If you work it out, it will come to more than Rs.91,000 crore for the SCs and more than Rs.47,000 crore for the STs. Instead of that, in the Budget...

MR. CHAIRMAN: What's the question?

SHRI C.P. NARAYANAN: Sir, I am asking. In the Budget, the amounts are Rs.52,000-odd crore for the SCs and Rs.31,000-odd crore for the STs. Even these amounts contain the non-Plan expenditure or the regular salaries and

Q.No.183 (contd.)

all that. So, my question is: Will the gap between the Jadhav Committee guidelines, which have been accepted by the Government, and the Budget amount, be filled by the Government? Will the gap between the recommendations be accepted and implemented or will that gap be filled up by the Government for both the SCs and the STs?

RAO INDERJIT SINGH: Sir, earlier the Scheduled Caste Sub-plan and the Scheduled Tribes Sub-plan showed how much money was being allocated to each of these two categories. However, from the present financial year, that is to come from 31st March onwards, the Plan expenditure and the non-Plan expenditure have been clubbed together. There is no Plan expenditure as such. So, Scheduled Castes Sub-Plan and Scheduled Tribes Sub-Plan have been done away with and the increase over the Sub-Plans over last year's Budget is 35 per cent for the Scheduled Castes and it is 33 per cent for the Scheduled Tribes. In a sense, under the non-Plan Budget, we are giving Rs.38,833 crore in 2016-17 and this has been increased to Rs.52,393 crore in 2017-18. Similarly, there is a marked increase in the welfare of Scheduled Tribes Plan as well in the combined Plan-cum-non-Plan expenditure Budget. ...(Interruptions)...

Q.No.183 (contd.)

MR. CHAIRMAN: One minute please. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: Sir, we need protection. ...(Interruptions)... What is his question and what is he replying?

MR. CHAIRMAN: Let us hear him. ...(Interruptions)...

RAO INDERJIT SINGH: Sir, I may be permitted to complete. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Just a minute. ...(Interruptions)...

RAO INDERJIT SINGH: So, let me first say that the Jadhav Committee had made recommendations. What the hon. Member has read out is only that which have been given in the total Budget for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(Contd. by BHS/1T)

-VKK/BHS-KLG/1T/12.30

RAO INDERJIT SINGH (CONTD.): Apart from the two nodal Ministries of Social Justice and Empowerment and the Tribal Affairs Ministry, there are 27 other Ministries and Departments which have to make plans for the welfare of Scheduled Castes and there are 32 Departments which have to make plans for the benefit of the Scheduled Tribes. So, if you combine what has

Q.No.183 (contd.)

been given in the answer plus whatever is in the Department of Scheduled Castes and Scheduled Tribes with the rest of the Departments, I think, you will come very near to the figure that the Jadhav Committee has proposed.

MR. CHAIRMAN: Second question.

RAO INDERJIT SINGH: In case, there is a gap, we will continue to make amends.

MR. CHAIRMAN: Is there a gap or is there not a gap? That is the question. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: That is the problem. ...(Interruptions)... The question is a comprehensive question. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please. ...(Interruptions)... Let the question be answered. ...(Interruptions)... Please. ...(Interruptions)... Tapan*ji*, please. ...(Interruptions)...

RAO INDERJIT SINGH: Sir, one is not as good at Maths as, perhaps, Gupta*ji* is but I can say that the total figures will have to be added up to see whether there is a gap or not. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: That is your job. ...(Interruptions)...

Q.No.183 (contd.)

RAO INDERJIT SINGH: Sir, 27 Departments plus Welfare of Scheduled Castes' budget sub allocation will probably come to around that much. I cannot give the figure because I am not so good at Maths. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: The emphasis is not...(Interruptions)... Let us hear the second question. ...(Interruptions)...

RAO INDERJIT SINGH: But if the hon. Member adds it all together, it would be very near to what he is saying. ...(Interruptions)...

SHRI TAPAN KUMAR SEN: In the reply, it should have come. ...(Interruptions)...

SHRI C.P. NARAYANAN: Mr. Chairman, Sir, the Minister is saying 'probably' while I am speaking about the actual figures. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Please ask your second question.

SHRI C.P. NARAYANAN: Sir, my second question is this. Since he agrees that there is a gap, will the Government be kind enough to introduce the following things?

First, rehabilitation of bonded labour and welfare of fishermen. Secondly, 6000 model schools were scheduled to be started according to

Q.No.183 (contd.)

the Budget but that has been denied. That has been negated in the Budget. Will it be introduced? Third and the most import, for SC/ST women, the apportioning of the fund, which I could calculate, is only 0.11 per cent of the total Budget. Will it be increased?

RAO INDERJIT SINGH: Sir, there are constraints on the Budget. What we have agreed to, we may not be able to do in this particular Budget, but it is an attempt being made continuously and, like, I said, over the last 16-17 years' Budget, we have an increase of 35 per cent in the Scheduled Castes Budget and we have an increase of 33 per cent in the Scheduled Tribes Budget. Apart from that, of the various Ministries that I have been talking about, I will just give an example. Say, for Agriculture Co-operation and Farmers' Welfare Ministry, in 2017-18, there is Rs.3,293.28 crores for Scheduled Tribes. Similarly, for Scheduled Castes, there is an allocation under Agriculture Ministry for Rs.6,668.89 crores. Now, I have only given these figures of one Ministry. There are 27 Ministries under Scheduled Castes category and there are 32 Ministries under Scheduled Tribes category, which have allocated on their own, apart from the two, - Tribal

Q.No.183 (contd.)

Affairs Ministry and the Scheduled Castes Welfare Ministry, which I have mentioned earlier. ...(Interruptions)...

SHRI C.P. NARAYANAN: Sir, my question is only for schemes. ...(Interruptions)... For schemes, what has he given? ...(Interruptions)... Not for establishment expenditure, but for schemes, what will be the amount? ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Yes; right. ...(Interruptions)...

SHRI C.P. NARAYANAN: As far as I could understand, it is very little. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Thank you. Shri Digvijaya Singh.

श्री दिग्विजय सिंहः माननीय सभापति जी, देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति का लगभग 12,000 करोड़ रुपए का बैकलॉग है। यह बैकलॉग तीन साल से पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि यह जो एक रिपोर्टेड फिगर है कि 12,000 करोड़ रुपए का बैकलॉग है, अगर यह सही है, तो इस बैकलॉग की पूर्ति आप कैसे करेंगे? अगर यह सही नहीं है, तो सही बैकलॉग की राशि आप बताने का कष्ट करें।

(1यू/एकेजी-आरएल पर आगे)

AKG-RL/1U/12.35

Q.No.183 (contd.)

राव इंद्रजीत सिंह : सर, पहले सदस्य की जो बात रह गई थी, पहले तो मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि कुल मिला कर 12 schemes ऐसी हैं, जिन्हें विभिन्न विभाग Scheduled Castes के लिए लागू कर रहे हैं और 12 schemes ही ऐसी हैं, जिन्हें विभिन्न विभाग Scheduled Tribes के लिए लागू कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, My question is only specific. मेरा प्रश्न Post-Matric Scholarship के बारे में था।

राव इंद्रजीत सिंह : मैं पहले वाले प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। ...(व्यवधान)... अभी मैं उनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ, आपके प्रश्न का जवाब भी आएगा, आप तसल्ली रखिए। फिलहाल मैं उनके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। ...(व्यवधान)...

SHRI DIGVIJAYA SINGH: Sir, the question is mine.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, I am coming to his question also if he has a little patience. The question is of backlog for Scheduled Tribes and Scheduled Castes which is given by the Government of India to the States. When he says that it is a backlog of Rs. 12,000 crores, I would like to correct him that it is not so. It is today Rs. 8000 crores which is the backlog. For Scheduled Tribes, it is the backlog of only Rs. 800 crores. But unlike what we give for Minorities, the scholarships are given directly online but when it comes to

Q.No.183 (contd.)

the question of Scheduled Tribes and Scheduled Castes, it is given to the States and the States thereafter distribute it as per their choices as to who is deserving. So, in these cases, the States have to tell us that if these are the cases for which we have to ask money for and if the utilization has been done, then we give that grant to the State. Now, Rs. 8000 crores worth of backlog is there. I accept that. But I am saying that we are continuously in the process of trying to reduce it and if the States were to give us the Utilization Certificates faster, maybe we could reduce it at a faster rate.

SHRI DIGVIJAYA SINGH: The question is, when the money is not available with the State Governments, then, how will they pay? You have to allocate this money to the State Governments; only then, the Post-Matric Scholarship can be paid. Sir, this is the gap which has led to students who have not received Post-Matric Scholarships since the last three years. The schools and the colleges have stopped registering these cases. This is a serious issue and the Minister for Social Justice is also here. I don't know why he is not taking up the issue with the Ministry of Planning.

RAO INDERJIT SINGH: Sir, I just want to, sort of, assure the Member that whatever backlog is there, it is not lapsable. Once it has been assigned, it

Q.No.183 (contd.)

will come to that person who is the beneficiary of that. It has taken a little long because of procedural matters between the State and the Centre. But the Centre is committed to giving all those moneys which are supposed to be given for scholarships.

श्री राम विचार नेताम : महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहले अनुसूचित जातियों के कल्याण मद में किए जाने वाले आवंटन को SCSP के नाम से जाना जाता था और ST के लिए जो आवंटन होता था, उसे TSP Area के नाम से आवंटन किया जाता था, अब उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। मेरा यह निवेदन है कि पूरे देश में इसको लेकर एक भ्रम की स्थिति है। इसलिए एक तो आप इसके लिए नोटिफिकेशन निकाल कर सभी जगह पत्र भेज दें कि अब यह राशि इस मद में जाएगी।

(1डब्ल्यू/डीसी पर आगे)

SCH-DC/12.40/1W

RAO INDERJIT SINGH: Sir, there is a monitoring mechanism for all these schemes. The Ministry of Social Justice and Empowerment will monitor those schemes in those States for Scheduled Castes, and the Ministry of Tribal Affairs will monitor these schemes under the Scheduled Tribes category. If there is anything wrong, we will find out. And whatever is

Q.No.183 (contd.)

allowed to be given as a suggestion to States from the Centre, this will be given by us.

श्री रवि प्रकाश वर्मा : सर, प्रश्न पूछने का मौका देने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं।

सर, दलितों और जनजातियों के उत्थान के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं, जिसका मंत्री जी ने रेफरेंस दिया है। इसके साथ उन्होंने health indicators, percentage of incidence of poverty across Social Groups and percentage of literacy rate of Social Groups के डिटेल्स भी दिए हैं।

सर, आज भी ट्राइबल्स और एससीज़ उत्पीड़न या exploitation के शिकार हैं और अखबारों या मैगज़ींस में इसको लेकर खबरें भी छपती रहती हैं। बहुत बड़ी तादाद में ट्राइबल्स और अनुसूचित जातियों की लड़कियां और छोटे बच्चे ट्रेफिकिंग करके बड़े-बड़े शहरों में लाए जाते हैं, जिसकी हजारों सूचनाएं आती रहती हैं। सबसे खराब स्थिति यह है कि ये लोग संवेदनहीनता के शिकार हैं।

महोदय, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपने इसमें जो रेफरेंस दिया है कि उनके उत्थान के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए एक खास बात यह है कि सरकारी नौकरियों में इन लोगों को जॉब मिलनी चाहिए। संविधान ने रिज़र्वेशन का जो प्रावधान तय किया था, वह कोटा आज तक पूरी तरह भरा नहीं गया है, वह खाली है।

Q.No.183 (contd.)

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक सरकारी नौकरियों में एससीज़ और एसटीज़ का कितना कोटा खाली है और उसको आप कब तक पूरा भर देंगे?

राव इंद्रजीत सिंह : चेयरमैन साहब, unemployment rate तो सभी वर्गों के अंदर है, एससीज़ के अंदर भी है, एसटीज़ के अंदर भी है, ओबीसीज़ के अंदर भी है और अदर्स के अंदर भी है। अगर मैं आपको अगस्त, 2016 की सूची का हवाला दूं, तो Scheduled Castes के अंदर unemployment rate 5.0 फीसदी था, Scheduled Tribes में Scheduled Castes से कम, 4.4 फीसदी था...(व्यवधान)... आप मुझे पूरा जवाब तो देने दीजिए। ओबीसीज़ के अंदर unemployment rate एससीज़ और एसटीज़ दोनों से ज्यादा, 5.2 फीसदी था और जनरल कैटेगरी में unemployment rate 5.0 फीसदी था। जनरल कैटेगरी और शैड्यूल्ड कास्टस का unemployment rate बराबर था। श्रीमान् जी एसटीज़ की बात कर रहे हैं, तो उनमें unemployment rate सबसे कम, यानी 4.4 फीसदी था।

दूसरा, माननीय सदस्य का एक प्रश्न यह भी है कि गवर्नमेंट जॉब्ज़ में एसटीज़ की कितनी जगहें खाली हैं, तो यह अलग सवाल है। अगर माननीय सदस्य उसके लिए नोटिस भेज देंगे, तो उसका ब्यौरा इन्हें भेज दिया जाएगा।

(समाप्त)

प्रश्न संख्या 184

श्री महेन्द्र सिंह माहरा : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है, "ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान और प्राथमिकता निर्धारण के लिए विषयपरक मानदंडों का अध्ययन करने हेतु 01.01.2016 को सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना संबंधी विशेषज्ञ समूह गठित किया था।" मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस समूह में जो एक्सपर्ट कमेटी बनी, उसमें कौन-कौन से और किस-किस विभाग के लोग होते हैं?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि...(व्यवधान)...

श्री सभापति : एक वक्त में एक ही सवाल पूछिए।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा : सर, यह सवाल भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि 13.01.2017 को एक्सपट्र्स ने जो रिपोर्ट मंत्रालय को दी है, वह रिपोर्ट क्या है?

(RPM/1X पर आगे)

RPM-KR/1X/12.45

राव इंद्रजीत सिंहः सर, इसके कौन-कौन सदस्य थे, इस बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसके अध्यक्ष श्री सुमित बोस थे। सुमित बोस नाम की कमेटी ने तीन-चार कैटेगरी के बारे में recommendations दी थीं। इसने अपनी recommendations मनरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधान मंत्री ग्रामीण आवास योजना और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के ऊपर दी थीं। कमेटी का यह मानना था कि

Q.No.184 (contd.)

beneficiaries identify किए जाएं न कि यह identify किया जाए कि कौन poverty line के नीचे है, क्योंकि इस पर विवाद हो जाता है। पिछले दो दशकों से तो यह चर्चा चली हुई है कि कौन व्यक्ति poverty line के नीचे है और कौन ऊपर है। अगर किसी ने दो अंडे खा लिए, तो वह poverty line के ऊपर आ गया, यदि एक अंडा खाया, तो poverty line के नीचे आ गया। इसलिए वहां इस पर विवाद बना रहता था।

महोदय, अब इस सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि सबसे ज्यादा आवश्यकता जिसको है, उसे इसके लाभ दिए जाएं। इस दृष्टि से एक seven deprivation Parameters स्थापित किए गए हैं। उनमें यह भी स्थापित किया गया है कि कौन automatically उससे out हो जाएगा और कौन automatically उसमें अंदर हो जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर गाड़ी है, तो वह automatically deprivation index से बाहर हो जाएगा। अगर उसके पास air conditioner है या उसका कोई लड़का सरकारी नौकरी में है, तो वह भी deprivation index से बाहर हो जाएगा। इस तरह से ये जो deprived व्यक्ति हैं, उनकी एक सूची बनाई जाती है, जिसके अनुसार जो व्यक्ति सबसे last line में खड़ा होता है, यानी जिसके पास सबसे कम सुविधाएं हैं, वह सबसे पहले beneficiary के तौर पर identify किया जाएगा और States सबसे पहले, सरकार की तरफ से जो financial benefit देना होता है, वे उसे देंगी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैरामीटर्स हैं, वे क्या हैं? उन्हीं के कारण आज जो असली

Q.No.184 (contd.)

लाभार्थी हैं, उन्हें अभी तक लाभ नहीं पहुंचा है। मेरे प्रश्न का मुख्य उद्देश्य यही है और मैं यही जानना चाहता हूं कि जो मानक सरकार बनाकर भेजती है, उनसे लाभार्थी का भला नहीं हो रहा है।

राव इंद्रजीत सिंहः माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, यह पहले की बात होगी, क्योंकि यह इसी साल, यानी वर्ष 2016 से लागू हुआ है। वर्ष 2011 का जो Socio Economic Caste Census था तथा जो मार्च, 2011 से लेकर मार्च, 2016 तक चला था, उसके अंदर से कास्ट को निकाल कर के, बाकी सारे पैरामीटर्स का अध्ययन कर के यह फैसला किया गया कि किस आधार पर beneficiary कौन गिना जाएगा। इसलिए अब सेवन पैरामीटर्स लगाए गए हैं। इनके अंदर नंबर लगाए जाते हैं और जिसका सबसे अव्वल नंबर होता है या जो सबसे लास्ट लाइन में खड़ा होता है, यानी अन्त्योदय में, उसे सबसे पहले इस फैसले का लाभ मिलेगा।

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, the hon. Minister in his written reply has stated, "Further, the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation has also constituted a Committee on 27.1.2017 under the chairmanship of Shri Bibek Debroy, Membeer, NITI Aayog to inter alia recommend criteria for identification of beneficiaries in urban areas." Then, what about identification of beneficiaries in rural areas? That has not been mentioned.

Q.No.184 (contd.)

Why only urban areas? Two-thirds of India's population live in rural areas. Why should they be left outside of that?

RAO INDERJIT SINGH: Sir, rural areas have already been covered there. An Expert Group on Socio-Economic Caste Census (Rural) has submitted its report to the Ministry of Rural Development on 13.01.2017. So, the rural area has already been taken care of. The urban areas have been lagging a little behind. So, in that sense, on 27.01.2017 a Committee has been constituted under the Chairmanship of Shri Bibek Debroy so that, the urban beneficiaries also will be identified.

(Followed by 1y/PSV)

PSV-KS/1Y/12.50

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने उत्तर की पहली लाइन में दिया है कि "सरकार ने "हाशिए पर रहने वाले गरीब लोगों" की पहचान करने के लिए कोई समिति गठित नहीं की है", जबकि उत्तर की लास्ट लाइन में दे दिया है कि "27.01.2017 को श्री बिबेक देबरॉय, सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।" मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि कोई समिति गठित नहीं की गई है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि गठित की गई है। तो मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि 2011 में सामाजिक-आर्थिक जातिगत

Q.No.184 (contd.)

जनगणना हुई थी। उसके अनुसार देश में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या 52 परसेंट है। पिछली बार सरकार ने आश्वासन दिया था कि पिछड़े वर्ग के लोगों की जनगणना अलग से की जाएगी, लेकिन वह नहीं की गई। तो जो गरीब लोग हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको चिन्हित करने के लिए क्या माननीय मंत्री जी पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों की संख्या की जनगणना कराएँगे?

राव इंद्रजीत सिंहः सर, Socio-Economic Caste Census के अन्दर, जैसा मैंने बताया, कि कास्ट्स का विवरण अभी तक उजागर नहीं किया गया है। बाकी पैरामीटर्स के ऊपर यह रूरल डिपार्टमेंट का और अरबन डिपार्टमेंट का, 'अंत्योदय योजना' के अन्दर कौन सा खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो उसके पैरामीटर्स थे, जिसके अन्दर मैंने बताया कि रूरल वालों की रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुकी है और जो अरबन वालों का है, जिसकी कमेटी 27.01.2017 को स्थापित की गई थी, उसको 3 महीने का समय दिया गया है।

श्रीमती कहकशां परवीनः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूँ कि जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जो बीपीएल श्रेणी में रहने वाले लोग हैं, उनकी हालत में क्या कुछ सुधार आया है या ऐसे भी लोग हैं, जिनकी हालत पहले अच्छी थी, लेकिन आज उनकी हालत जो खराब हो गई है? इसके सर्वेक्षण के लिए इन तीन सालों में आपने क्या करवाया और क्या आंकड़े आपके पास हैं?

Q.No.184 (contd.)

राव इंद्रजीत सिंहः सर, हरेक वर्ग के अन्दर, पिछली बार एक सवाल का मैंने जवाब जवाब दिया था कि कुछ न कुछ बढ़ोतरी हुई है, कुछ न कुछ फायदा इनको पहुँचा है। ये अलग पैरामीटर्स हैं, मैंने पिछले वाले सवाल के अन्दर सदन के पटल पर रख दिए हैं। अगर ये मुझसे अलग से जानना चाहेंगी, तो मैं इनको अलग से इस बात का ब्योरा पेश कर दूँगा।

(समाप्त)

Q. No. 185

MR. CHAIRMAN: Question No. 185; questioner not present. Supplementaries, please.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, in the reply, the hon. Minister has mentioned the eco-friendly measures taken by the Government for fulfillment of the Paris Climate Change Agreement. My question is whether any plan is afoot, as part of the eco-friendly measures, to contain the use of plastic goods in the country when a number of countries, including Bangladesh, have banned its use.

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, we have already decided upon the Plastic Management Rules, and we have notified new rules for managing plastic waste. There is 15,000 tonnes of plastic waste generated every day. Out of that, only 9,000 tonnes of waste gets collected; 6,000 tonnes doesn't get collected. This is huge. So, two million tonnes of plastic waste remains in the atmosphere, and this would remain there for years together. That is the real threat. Therefore, as part of the Notification, we have now introduced the EPR, that is, Extended Producer's Responsibility where all plastic manufactures generating a large quantum of plastic must create a system whereby they take back plastic bottles and other things.

Q.No.185 (contd.)

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: What about banning of plastic?

SHRI PRAKASH JAVADEKAR: Sir, plastic *per se* is useful; it is not bad. The bad part is non-collection of the plastic waste. If you collect it, it could be recycled. There are efficient technologies using which we could create fuel out of the plastic waste again and use it. There are various by-products that come out of plastic recycling. The issue is of plastic waste collection. Therefore, now even the Gram Panchayats have been mandated to have a collection system. The Notification is now justiciable. So, wherever the Municipalities in towns are failing, the people there could approach the NGT and other fora.

(FOLLOWED BY VNK-KS/1Z)

VNK-KS&NKR-RSS/1Z& 2A/12.55&1.00

श्री हुसैन दलवई : सभापति महोदय, जो कुदरती झाड़ आदि हैं, उनको लगाना environment के लिए सबसे जरूरी है। रास्ते के अगल-बगल जो झाड़ लगाए जाते हैं, वे कुछ काम के नहीं होते हैं, क्योंकि वे मजबूत नहीं होते हैं, इसलिए वे जल्दी टूट जाते हैं। मैं यह सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसे हमारे यहां कोकम है, अलग-अलग जगह पर अलग-अलग पेड़ होते हैं, वहां पर ऐसे पेड़ों को लगाना चाहिए। वहां पर आम, cashew nuts, आंवला, इमली आदि के पेड़ लगाए जाने चाहिए। इस तरह के पेड़

Q.No.185 (contd.)

लगाए जाएंगे, तो लोग उसका संरक्षण भी करेंगे। रास्ते के आस-पास जो गांव आते हैं, अगर उनके ऊपर इनकी देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी, तो उन गांवों को इसका उत्पादन मिल सकेगा। क्या सरकार इसके ऊपर विचार करेगी?

श्री प्रकाश जावडेकर : हाइवे मिनिस्ट्री और पर्यावरण मंत्रालय ने मिल कर एक ऐसी योजना बनाई, जिसके तहत सारे हाइवेज़ को ग्रीन हाइवेज़ में रूपांतरित करना है। They have to invest one per cent of their project costs into creation of greenery on both sides of the roads. This is one.

Secondly, हमारा रेलवे के साथ भी इसी तरह का एमओयू हुआ और रेलवे वाले भी ऐसा ही करने वाले हैं। कहने का मतलब यह है कि ऐसी सभी जगहें, जहां भी सरकारी उपक्रमों के पास जगह है, वहां यह अच्छी तरह से हो। हर स्टेट इस तरह का प्रयास कर रहा है। अब वहां पर कौन-से पेड़ लगाए जाएं, इसके बारे में भी अच्छे-अच्छे सुझाव आए हैं और हमारे Forest Research Institute ने एक स्टडी करके सभी राज्यों को निर्देश भी दिया है। Essentialy, this is a suggestion for action. I take it in that spirit.

(Ends)

Q. No. 186

MR. CHAIRMAN: Question No. 186; questioner not present. Let the answer be laid.

MR. CHAIRMAN: All right; answer has been laid. Any supplementaries? No? Now, Question No. 187.

(Ends)

Q. No. 187

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR: Sir, will the Minister of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation be pleased to state whether Government has received any request from the Rajasthan Government to release requisite funds under Command Area Development and Water Management (CADWM) programme amounting to Rs. 276.49 crore as Central assistance? If so, what is the action taken in this regard and, if not, the reasons therefor?

डा. संजीव कुमार बालियान : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की बात ठीक है। इन्होंने जो करीब 276 करोड़ रुपए के संबंध में बताया है, उसके लिए राजस्थान सरकार से पत्र मिला था और वह due भी है, लेकिन उसके जवाब में 10 अक्टूबर, 2016 को केन्द्रीय मंत्री, सुश्री उमा भारती जी के द्वारा एक पत्र दिया गया है कि CAD वर्क में reimbursement allowed नहीं है। हमने प्रयास किया था, लेकिन वित्त मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि CAD के जो भी वर्क होंगे...., प्रोजेक्ट तो बहुत sanction होते हैं, लेकिन सभी प्रोजेक्ट्स को केन्द्र सरकार मदद नहीं कर सकती है, क्योंकि इतना पैसा डिपार्टमेंट के पास या मिनिस्ट्री के पास नहीं होता है। इस संबंध में यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि केन्द्र सरकार या मंत्रालय इस पैसे को नहीं दे सकता है। इसमें सबसे बड़ी एक समस्या यह हुई कि पिछले साल 'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' लागू होने के बाद जो भी हमारे on-going projects थे, उनमें यह तय किया गया है कि

Q. No. 187(contd.)

'प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना' के तहत जिन 99 प्रोजेक्ट्स को identify करके पूरे देश में लागू किया गया है, सिर्फ उनमें ही मौजूदा बजटरी प्रोविजन के अनुसार सहायता दी जाएगी और इस स्कीम में reimbursement का कोई प्रोविजन नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRI HARSHVARDHAN SINGH DUNGARPUR: No, Sir.

MR. CHAIRMAN: No other question.

(Ends)

MR. CHAIRMAN: Question No. 188; questioner not present. Let the answer be laid on the Table. Is the Minister present?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, the Minister is not there.

MR. CHAIRMAN: This is an extraordinary situation! ...(Interruptions)... Question No. 189; questioner not present.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, there is no Cabinet Minister present. ...(Interruptions)...

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is no Cabinet Minister.

MR. CHAIRMAN: Yes, I can see that. Question No. 189. Can the answer be laid on the Table? ...(Interruptions)... No questioner; no Minister.

SHRI ANAND SHARMA: Sir, there is no Cabinet Minister in the House today.

MR. CHAIRMAN: This is not a happy state of affairs. ...(Interruptions)...

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, is this the shape of things to come? ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: Question No. 190. No questioner; no Minister. ...(Interruptions)... Question No. 191.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY: Sir, a stricture should be issued against the Government.

SHRI GHULAM NABI AZAD: This is 'maximum Ministers, minimum governance'!

Q. No. 191

MR. CHAIRMAN: Question No. 191; questioner not present. Let the answer be laid on the Table. ...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: The answer is laid on the Table. No supplementaries.

The House is adjourned till 2.00 p.m.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.